

**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

91

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आकाश कुमार, सहायक अध्यापक-वाणिज्य	22-11-2021	श्री बृज आदर्श इण्टर कालेज, माट, मथुरा	डी0एन0 इण्टर कालेज, गुलावटी, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

1903-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

89

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मीनाक्षी, सहायक अध्यापिका-गणित	11-12-2021	राजाराम महिला इण्टर कालेज, बदायूँ	शिवचरण इण्टर कालेज, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

1883-92

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

१०

/2024-25, दिनोंक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुन्दर कुमार, सहायक अध्यापक-विज्ञान	04-2-2021	चण्डी मिश्र बिन्देश्वरी मिश्र उ०मा०वि०, करमहवा, रावतगंज, गोरखपुर	शिव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जाडौल, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

1893-1902

/2024-25, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

123

/2024-25, दिनोंक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती उर्मिला, प्रवक्ता-नागरिक शास्त्र	28-12-2008	स्योबाई कमला देवी टिबडेबाल कन्या इण्टर कालेज, पड़रौना, कुशीनगर	रामस्वरूप आर्य कन्या इण्टर कालेज, अनूपशहर, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2223-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

122

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती समीक्षा, सहायक अध्यापिका-गणित	28-12-2018	सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इण्टरमीडिएट कालेज, गोण्डा	किसान इण्टर कालेज, मढ़ी, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2213-22

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

121

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सोनिया, सहायक अध्यापिका-गणित	13-8-2020	आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, मिर्जापुर	आर्य वैदिक इण्टर कालेज, कलन्जरी, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2203-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(रामप्रसाद),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

337

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री धीरज कुमार, सहायक अध्यापक-विज्ञान	12-5-2022	सरदार बल्लभ भाई पटेल इं0का0 जफरपुरा, मिर्जापुर	जसवन्त मिल्स इण्टर कालेज, मलियाना, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4393-4402

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

336

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक अध्यापिका-हिन्दी	16-11-2021	जी0आर0वी0 इण्टर कालेज, राठ, हमीरपुर	नवजीवन इण्टर कालेज, फर्रुखनगर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4383-92

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 335 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रांशी गोयल, सहायक अध्यापिका-गणित	27-11-2021	आर्य कन्या इण्टर कालेज, गुलावटी, बुलन्दशहर	रघुनाथ गर्ल्स इण्टर कालेज, सदर, मेरठ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4373-82 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 108 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सचिन कुमार, प्रवक्ता	16.8.2012	सी0बी0इण्टर कालेज तरवा आजमगढ	गांधी स्मारक देवनागरी इण्टर कालेज परीक्षितगढ मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 2073-82

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

333

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती राखी, सहायक अध्यापिका-गणित	18-8-2020	एस0डी0 कन्या इण्टर कालेज, सहारनपुर	आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4353-62

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

332

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कौशल कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	29-11-2021	स्वतंत्र भारत इण्टर कालेज, बी0बी0नगर, बुलन्दशहर	एस0एम0जे0ई0सी0 इण्टर कालेज, खुर्जा, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4343-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

831

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अरुणा तोमर, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	26-11-2021	कृषक इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ	सरदार पटेल म्यूनिसिपल इण्टर कालेज, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4333-42

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

88

/2024-25, दिनोंक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कोपल रानी, सहायक अध्यापिका- वाणिज्य	09-12-2021	वैसवारा इण्टर कालेज, लालगंज, रायबरेली।	श्री सनातन धर्म इं0का0, गाजियाबाद।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

1873-82

/2024-25, तद्दिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 147 /2024-25, दिनोंक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती हिमांशी शर्मा, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	25-11-2021	श्री नाथुराम पुरोहित बालिका इण्टर कालेज, कोंच, जालौन	एच0एच0के0एम0 इण्टर कालेज, माधोपुर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2463-72 /2024-25, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 144 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजय कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	29-11-2021	आदर्श इण्टर कालेज, कुसरुखुर्द, सन्तकबीरनगर	राम सहाय इण्टर कालेज, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2433-42 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(सर्मचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

146

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शिप्रा, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	13-12-2021	नवीन आदर्श इण्टर कालेज, इसारी सलेमपुर, बलिया	जनता इण्टर कालेज, बना मसूरी, मरेठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2453-62

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(समर्पित),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 142 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सोमवीर सिंह, सहायक अध्यापक-गणित	01-01-2022	श्री राधाकृष्ण इण्टर कालेज, कलपुरवा, सिद्धार्थनगर	किसान आदर्श इण्टर कालेज, रोण्डा, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2418-22

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(समचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 143 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सचिन शर्मा, सहायक अध्यापक-गणित	14-9-2020	जनता विद्यालय इण्टर कालेज, मैहनाजपुर, आजमगढ़	सी0एल0एम0 इण्टर कालेज, जानी, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2423-32

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(सामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

140

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शुभम गुप्ता-सहायक अध्यापक-विज्ञान	17-11-2021	श्री बापू इण्टरमीडिएट कालेज, सोहनपुर, देवरिया	जनहितकारी इण्टर कालेज, सोहनपुर, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2393-2402

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचंद्र)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

141

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूजा रानी, सहायक अध्यापिका-गृह विज्ञान	25-11-2021	त्रिगुणानन्द जनता इण्टर कालेज, बनकटा स्टेशन, देवरिया	जसवन्त मिल्स इण्टर कालेज, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2403-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

159

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती निशा, सहायक अध्यापिका-गणित।	20-8-2020	कृषक इण्टरमीडिएट कालेज, बेलाड़ी, ओठघनपुर, बस्ती।	श्री लाल बहादुर शास्त्री हा0से0 स्कूल, शिवाजी कॉलोनी, मेरठ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2583-92

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

158

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राहुल, सहायक अध्यापक-विज्ञान	20-12-2021	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, मेंहदावल, सन्तकबीरनगर	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, नेवाड़ी, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2573-82

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(रामचैत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

352

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री पवन कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	01-9-2020	बापू इण्टर कालेज, सादात गाजीपुर	लाला बाबू बैजल इण्टर कालेज, लोदीपुर, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

1543.52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

157

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा, सहायक अध्यापिका-गृह विज्ञान	01-12-2021	श्री चमेली देवी इण्टर कालेज, सिहोरा, मथुरा	सुशीला कन्या इण्टर कालेज, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2563-72

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(सम्प्रवेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

120

/2024-25, दिनोंक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दिनेश कुमार, सहायक अध्यापक-विज्ञान	11-10-2022	बाबा गयादास टेक0इण्टर कालेज, बरहज, देवरिया	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, निवाड़ी, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2193-2202

/2024-25, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(सामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 119 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री योगेन्द्र पाल सिंह, सहायक अध्यापक-हिन्दी	05-9-2011	डी0एन0 इण्टर कालेज, गुलावटी, बुलन्दशहर	जनता इण्टर कालेज, सारंगपुर, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।


सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2183-32

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

118

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सोनिया सेहरावत, प्रवक्ता-जीव विज्ञान	24-8-2020	जे0जे0 इण्टर कालेज, सुल्तानपुर चिलकाना, सहारनपुर	गाँधी विद्या निकेतन इण्टर कालेज, बुढ़पुर रमाला, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2173-82

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 373 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित तोमर, सहायक अध्यापक-विज्ञान	16-12-2021	श्री मारुति विद्यालय इण्टर कालेज, एदिलपुर, आजमगढ़	श्री गॉंधी इण्टर कालेज, दुजाना, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4753-62

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

374

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सविता, सहायक अध्यापिका-सामाजिक विज्ञान	06-9-2017	आर्य कन्या इण्टर कालेज, सहारनपुर	शम्भूदयाल इण्टर कालेज, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तद्दिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4763-72

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

303

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती संजुला श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका-कला	18-9-2023	श्री महात्मा गॉधी इण्टर कालेज, बड़ौत, बागपत	कन्या वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4043-52

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(सिमचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 304 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मंजू प्रवक्ता-अर्थशास्त्र	02-12-2016	किशोरी रमण गर्ल्स इण्टर कालेज, मथुरा	जनता इण्टर कालेज, जेवर, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4053-62 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 305 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रजत सोनी, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	20-2-2021	आर्य कन्या इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ	सुशीला कन्या इण्टर कालेज, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4063-72 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

148

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रामगोपाल शर्मा, सहायक अध्यापक-विज्ञान	01-12-2021	पावानगर महावीर इण्टर कालेज, फाजिलनगर, कुशीनगर	श्री गॉधी स्मारक इण्टर कालेज, दबथुआ, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2473-82

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(रामप्रसाद),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

348

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सतेन्द्र कुमार कर्दम, सहायक अध्यापक-अंग्रेजी	20-12-2011	आदर्श जनता उ0मा0 विद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	बी0एम0एम0 इण्टर कालेज, मऊखास, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4503-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

366

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 निष्ठा, प्रवक्ता-अंग्रेजी	23-8-2022	जे0पी0 जनता इण्टर कालेज, बुलन्दशहर	ए0एस0 इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4683-92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

93

/2024-25, दिनोंक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूजा, सहायक अध्यापिका-गणित	10-11-2022	राम प्यारी आर्य कन्या इण्टर कालेज, चन्दौसी, सम्भल	आर्य कन्या इण्टर कालेज, जिवाना, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

1923-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

102

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक-विज्ञान	27-4-2022	गणेश शंकर विद्यार्थी इण्टर कालेज, महराजगंज	कृषि इण्टर कालेज, जयसिंहपुर, मवाना, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2013-22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 106 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मंजरी जैन, स03A0	26.9.2003	श्री महावीर प्रसाद सक्सेना कन्या इण्टरकालेज आर्य समाज भूढ बरेली	सर छोटूराम किसान कन्या इण्टर कालेज गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 2053-62

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
( राप्रचेत )  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

104

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती स्वाती जायसवाल, सहायक अध्यापिका-गृह विज्ञान	06-8-2020	ग्रामोद्योगिक इण्टर कालेज, अशोक नगर भरसवां, फतेहपुर	किसान इण्टर कालेज, परसौल, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2033-42

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

103

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुधीर कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	22-11-2021	नेहरू मेमोरियल उ०मा०वि० जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर	एम०एस० इण्टर कालेज, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2023-32

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

101

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संदीप कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	22-9-2023	इण्टर कालेज, सेनापुर, जौनपुर	जनता इण्टर कालेज, खरखौंदा, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2003-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

100

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रविश कुमार, सहायक अध्यापक-विज्ञान	01-12-2021	श्री शैल्य कुमार सिंह इण्टर कालेज, दिलीपनगर, कुशीनगर	जनता इण्टर कालेज, लूम्ब, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 1993-2002

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 329 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सौम्या दुबे, सहायक अध्यापिका-गृह विज्ञान	10-8-2020	विमला देवी बृजमोहन इण्टर कालेज, सरायप्रयाग, कन्नौज	आदर्श कन्या इण्टर कालेज, जेवर, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4313-22 /2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

96

/2024-25, दिनोंक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 विनीता शर्मा, सहायक अध्यापिका-गृह विज्ञान	04-5-2022	जनता इण्टर कालेज, फलावदा, मेरठ	लोकमान्य तिलक जनता इण्टर कालेज, मोरटा, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तद्दिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 1953-62

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(सिमचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

37

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रिया त्यागी, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	07712-2021	दाऊ-दयाल गर्ल्स इण्टर कालेज, फिरोजाबाद	सलावा इण्टर कालेज, सलावा, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

1963-72

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

१५

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आवेग कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक-गणित	17-11-2021	तिलक इं0का0 बॉसी, सिद्धार्थनगर।	तुलसीराम माहेश्वरी पी0बी0ए0एस0 इण्टर कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

1933-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

95

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विवेक कुमार, सहायक अध्यापक-विज्ञान	30-9-2022	सुभाष इण्टर कालेज, भटनी, देवरिया	गोधी इण्टर कालेज, बादशाहपुर, पचगाई, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 1943-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

92

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
मो0 कमाल, सहायक अध्यापक (स0प्र0)	21-8-2015	श्री सीताराम सिंह इण्टर कालेज, गडौला, हाथरस	रघुनाथ सिंह स्मारक इण्टर कालेज, आचरुकलां, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

1913-22

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

111

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सोनू सहायक अध्यापक-विज्ञान	01-12-2018	श्री अनन्त आदर्श कुंज बिहारी राव इण्टर कालेज, गनियारी, देवरिया।	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, लावड़, मेरठ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2103-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

117

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजीव दीक्षित, सहायक अध्यापक-विज्ञान	02-03-2021	गोस्वामी तुलसीदास उ०मा०वि०, डडवाघाट, सिद्धार्थनगर	सर्वहितकारी इण्टर कालेज, बिनौली, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2163-72

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

116

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुशील कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	20-5-2017	श्री शंकर इण्टर कालेज, पलसो, मथुरा	लोक किसान इण्टर कालेज, ईलना परवाना, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2153-62

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा10-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

112

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रश्मि, सहायक अध्यापिका-संस्कृत	01-12-2018	उ०मा०वि० रामपुर, जनपद-रामपुर	गाँधी स्मारक इण्टर कालेज, दबथुआ, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2113-22

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(रामचैत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 98 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नरेश कुमार, सहायक अध्यापक-अंग्रेजी	01-12-2021	सर्वोदय इण्टर कालेज, बनबोई, बुलन्दशहर	एस0एस0वी0 इण्टर कालेज, मुरलीपुर, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 1973-82

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

११

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रेमशंकर, प्रवक्ता-भौतिक विज्ञान	28-8-2012	बयालिसी इण्टर कालेज, जलालपुर, जौनपुर	स्वतंत्र भारत इण्टर कालेज, सालारपुर, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

1983-92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

338

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रीता, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	09-2-2023	बिहारी लाल इण्टर कालेज, दनकौर, गौतमबुद्धनगर	श्री सन्त विनोबा इण्टर कालेज, वैदपुरा, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4408-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 105 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संदीप कुमार, स0अ0	08.2.2021	जनता इण्टर कालेज मोहम्मदपुर गौती फतेहपुरी	गांधी स्मारक देवानगरी इण्टर कालेज परीक्षितगढ मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 2043-52

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 330 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अंशु, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	01-3-2021	इण्टरमीडिएट कालेज, सुरजावली, सलेमपुर, बुलन्दशहर	महाकवि सूर संस्कृत इण्टर कालेज, संतवास, मुरादनगर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4323-32 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 107 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रविन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	08-9-2020	आदर्श इण्टर कालेज, सल्टौआ गोपालपुर, बस्ती	श्री जवाहर इण्टर कालेज, बामनौली, बागपत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2063-72

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(रामचंद्र),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 109 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती ममता रानी, स0अ0	26.11.2018	के0सी0सी0पी0 आर्य कन्या इण्टर कालेज गिल कालोनी सहारनपुर	गांधी स्मारक इण्टर कालेज दोघट बागपत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 2083-92

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचैत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 334 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री केतन कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	01-9-2020	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतरसण्ड, प्रतापगढ़	ए0एस0 इण्टर कालेज, मवाना मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4363-72 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

339

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विजय कुमार, सहायक अध्यापक-अंग्रेजी	20-3-2012	श्री सरस्वती विद्या मंदिर हा0से0 स्कूल, सिहानी, गाजियाबाद	महर्षि दयानन्द इण्टर कालेज, गोविन्दपुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4413-22

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

340

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	14-7-2012	महावीर इण्टर कालेज, बादिलपुर हल्दी, बलिया	शम्भू दयाल इण्टर कालेज, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4423-32

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामप्रसाद),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

341

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शोभा पाठक, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	13-12-2021	गाँधी शताब्दी इण्टर कालेज, डेयरी कॉलोनी, गोरखपुर	जनता इण्टर कालेज, रौजा याकूबपुर, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4493-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 348 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री भूपेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक-विज्ञान	03-2-2011	श्री आदर्श इण्टर कालेज, ठठिया, कन्नौज	देवनागरी इण्टर कालेज, गुलावटी, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4453-62 /2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 344 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अंकुर सिंह, सहायक अध्यापक-विज्ञान	10-2-2021	बनारसी दास इण्टर कालेज, हेड़ा मुगल, सहारनपुर	कनोहरलाल कृष्ण सहाय इण्टर कालेज, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4463-72 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(समचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 345 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती भावना, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	06-2-2021	श्री कृष्ण जाजू कन्या इण्टर कालेज, डिबाई, बुलन्दशहर	इण्टर कालेज, जटपुरा मुकीमपुर, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4473-82 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

**346**

/2024-25, दिनांक

**29** जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रदीप कुमार दीक्षित, सहायक अध्यापक-विज्ञान	16-1-2021	डी0ए0वी0 हायर सेकेण्ड्री स्कूल, सदर, मेरठ	सनातन धर्म इण्टर कालेज, सदर, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

**4483-92**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

347

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गजेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक-कला	20-11-2021	जवाहर लाल नेहरू स्मृति इण्टर कालेज, रवापुर सटेड़ी, मुजफ्फरनगर	जसवन्त मिल्स इण्टर कालेज, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4493-4502

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

351

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जयपाल सिंह भण्डारी, सहायक अध्यापक-व्यायाम शिक्षक	30-12-2016	कुबेर इण्टर कालेज, डिबाई, बुलन्दशहर	किसान इण्टर कालेज, पारसौल, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4533-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(सम्प्रवेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 350 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रेखा रानी, प्रवक्ता-नागरिक शास्त्र	24-5-2022	आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, मिर्जापुर	सर छोटूराम किसान कन्या इण्टर कालेज, दुहाई, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4523-32 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचंद्र),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

349

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रियंका सागर, सहायक अध्यापिका-गृह विज्ञान	01-12-2021	राजा चरत सिंह इण्टर कालेज, साहनपुर, बिजनौर	सर्वोदय इण्टर कालेज, पिलखुवा, हापुड़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4518-22

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

**342** /2024-25, दिनांक **29** जून, 2024  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	21-4-2022	श्री शंकरलाल रामराज्य इण्टर कालेज, लादूखेड़ा, आगरा	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, गढ़ी चौखण्डी, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

**4443-52** /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

115

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सत्येन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक-गणित	18-7-2019	हिन्द इण्टर कालेज, सम्भल	मुकर्रम इण्टर कालेज, पहासू, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2143-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

406

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री भूषण सिंह, सहायक अध्यापक-गणित	23-9-2019	जयसत् गुरुदेव जनता इण्टर कालेज, दुल्लहपुर, गाजीपुर	मिलिट्री हीरोज मैमोरियल इण्टर कालेज, सैदपुर, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5083-92

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 407 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती संगीता रानी, सहायक अध्यापिका-कला	06-1-2022	सौदान सिंह जनता आदर्श इण्टर कालेज, ताल-बिबियाना, बुलन्दशहर	डी0एन0 इण्टर कालेज, गुलावटी, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5093-5102 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

५०८

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रियंका पार्चा स0अ0-कला	01-12-2021	आर्य कन्या इण्टर कालेज, सिकन्दराराऊ, हाथरस।	श्री शोभाराम शर्मा इण्टर कालेज, दादरी, गौतमबुद्धनगर।	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5103-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 375 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रीति, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	20-11-2021	कृषक इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ	दुर्गाबाड़ी ए0बी0 गर्ल्स इण्टर कालेज, सदर, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4773-02 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 410 /2024-25 दिनांक 27 जून, 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कुलदीप शर्मा, प्रवक्ता	27.9.2016	श्रीराम इण्टर कालेज धौरा गौतमबुद्धनगर	गांधी स्मारक इण्टर कालेज दोघट बागपत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 5123-32 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

409

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संदीप कुमार स0अ0-विज्ञान	17-2-2021	श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, प्रयागराज।	नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, चितमाना शेरपुर, मेरठ।	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5113-22

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 376 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनिल कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	07-7-2019	राष्ट्रीय कृषक इण्टर कालेज, रघुराजनगर सुदीपुर, बस्ती	जगत सिंह इण्टर कालेज, बाहपुर, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4783-92

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

382 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सतेन्द्र नागर स0अ0-गणित	07-08-2020	आदर्श उ0मा0वि0 रौनीजा, गौतमबुद्धनगर।	श्री गांधी इण्टर कालेज, दुजाना, गौतमबुद्धनगर।	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4843-52

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 381 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कमल वर्मा प्रवक्ता-शारीरिक शिक्षा	27-9-2016	श्री जे0पी0 शर्मा इण्टर कालेज, बबेरू, बांदा।	सी0एल0एम0 इण्टर कालेज, जानी, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4833-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

367

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती आस्था कुमारी, सहायक अध्यापिका-गणित	27-4-2022	शिवचरण इण्टर कालेज, बुलन्दशहर	कृषक इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तद्दिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4693-4702

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

368

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आकाश चौधरी, सहायक अध्यापक-शारीरिक शिक्षा	18-11-2022	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, टटीरी, बागपत	इण्टरमीडिएट कालेज, धनौरा, सिल्वर नगर, बागपत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

4703-12

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड फत्रावली।

  
(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ **369** /2024-25, दिनांक **29** जून, 2024  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दिनेश चन्द्र, प्रवक्ता-भौतिक विज्ञान	15-1-2011	महेन्द्र टेक्निकल इण्टर कालेज, चन्दौली	रघुवीर सिंह किसान इण्टर कालेज, सिम्भावली, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ **4713-22** /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 370 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शारदा, प्रवक्ता-कला	01-7-2010	जयभारत इण्टर कालेज, छपार, मुजफ्फरनगर	कनोहरलाल कृष्ण सहायक इण्टर कालेज, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4723-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का संत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 371 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती चंचल, सहायक अध्यापिका- जीव विज्ञान	14-10-2023	आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, कालपी, जालौन	डॉ0 के0एन0 मोदी साइन्स एण्ड कामर्स कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4733-42

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

372

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती स्वाती, सहायक अध्यापिका-गणित	01-12-2021	मुक्तेश्वर प्रसाद बालिका इण्टर कालेज, जौनपुर	मारवाड़ इण्टर कालेज, पिलखुआ, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4743-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

306

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अमृता वोहरा, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	03-2-2021	दलीप सिंह राष्ट्रीय कन्या इं0का0 गंगोह, सहारनपुर	नवजीवन इण्टर कालेज, गंझा-बघेल, नोएडा, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4073-82

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 307 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती आकांक्षा डाबर, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	01-12-2020	श्री राम प्रसाद सिंह बालिका इण्टर कालेज, शेरपुर, मिर्जापुर	जनता इण्टर कालेज, कैथवाड़ी, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4083-92 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 308 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री देवेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक-शारीरिक शिक्षा	26-9-2023	समर सिंह इण्टर / कालेज, रामपुरा, जालौन	श्री चण्डी विद्यालय इण्टर कालेज, पिलखुआ, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4093-4102 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 309 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मोहित कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक-विज्ञान	04-12-2021	जनता उ0मा0वि0 बटुलही, देवरिया	पब्लिक इंटर कालेज, स्याना, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4103-4112 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 310 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती ममता रानी, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	15-6-2017	रामबाबा विद्यालय मंदिर इण्टर कालेज, रामबाबा, अम्बेडकरनगर	दुर्गाबाड़ी ए0बी0 बालिका इण्टर कालेज, मेरठ कैन्ट, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

4113-22 /2024-25, तद्दिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

311

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कविता सिंह स0अ0-गृह विज्ञान	02-10-2020	श्री अपरवल राव राम बक्श सिंह इण्टर कालेज, गंधरिया गजराज, बस्ती।	आदर्श इण्टर कालेज मतनौरा, हापुड़।	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4123-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 312 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपक कुमार सहायक अध्यापक-गणित	20-8-2020	कौशिल्या देवी जायसवाल इण्टर कालेज, महाराजगंज, जौनपुर।	जनता इण्टर कालेज खरखौदा, मेरठ।	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4133-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

113

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रिंकी तेवतिया, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	19-2-2021	रामा कन्या विद्यालय इण्टर कालेज, फिरोजाबाद	एस0एस0वी0 इण्टर कालेज, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

2123-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 114 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 मीनू, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	22-11-2021	श्री दुर्गा इण्टरमीडिएट कन्या इं0का0, कुशीनगर	इण्टरमीडिएट कालेज, धनौरा, सिल्वरनगर, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2133-42 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 321 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कपिल भारती, प्रवक्ता-रसायन विज्ञान	08-9-2012	लोक राष्ट्रीय इण्टर कालेज, जसराना, फिरोजाबाद	सर्वहितकारी इण्टर कालेज, किनानगर, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4223-32

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 320 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रामवीर शर्मा, सहायक अध्यापक-गणित	31-7-2019	सर्वोदय इण्टर कालेज, डिलारी, मुरादाबाद	एच0एच0के0एम0 इण्टर कालेज, माधोपुरा, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4213-22 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(समवेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

322

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शिखा यादव, सहायक अध्यापिका-गृह विज्ञान	30-11-2021	श्री जवाहर लाल उ०मा०वि० जिरासो भागलपुर, देवरिया	श्री गॉंधी स्मारक इण्टर कालेज, मुजफ्फरा बागड़पुर, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4233-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदुपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामश्रेष्ठ),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

323

/2024-25, दिनांक

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विपिन कुमार, सहायक अध्यापक-विज्ञान	30-11-2021	अभिनव विद्या मंदिर इं0का0 उदितपुर, लोक विद्यापीठ नगर, महाराजगंज	स्वतंत्र भारत इण्टर कालेज, सालारपुर, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4243-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

324

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रहलाद सिंह, सहायक अध्यापक-अंग्रेजी	01-7-2017	श्री श्रीराम इण्टर कालेज, देवरपुर, औरैया	इण्टर कालेज, जटपुरा, मुक्रीमपुर, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

4253-62

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 325 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती साधना, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	12-8-2017	कमला नेहरू इण्टर कालेज, सौगरा, अलीगढ़	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, कंकरखेड़ा, मेरठ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4263-72

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेल)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 326 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजीव कुमार स0अ0-गणित	04-10-2023	कृषक इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ	महाकवि सूर संस्कृत इण्टर कालेज, संतवास, मुरादनगर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4273-02 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 327 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनय कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	25-11-2021	मिलिट्री हीरोज मेमोरियल इण्टर कालेज, सैदपुर, बुलन्दशहर	वीर स्मारक इण्टर कालेज, बड़ौत, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4293-4302 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

328

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सीमा, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	04-12-2021	श्री सत्य हरिश्चन्द्र हा0से0 स्कूल, चमरावल, बागपत	देव इण्टर कालेज, डौलचा, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4303-12

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(समवेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

380

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पल्लवी कंसल, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	23-11-2021	सरस्वती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बबराला, सम्भल	वत्सराज स्वतंत्र भारत इण्टर कालेज, कलौदा, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4823-32

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

305

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सचिन कुमार गुप्ता, प्रवक्ता-गणित	18-10-2012	लोनी इण्टर कालेज, लोनी, गाजियाबाद	डी0एवी0 इण्टर कालेज, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

4873-82

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(शमचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

384

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गिरीश चन्द्र त्रिपाठी, प्रवक्ता-भौतिक विज्ञान	07-8-2020	गन्ना विकास इण्टर कालेज, मुण्डेरवा, बस्ती	किसान नेशनल इण्टर कालेज, मुरादनगर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4863-72

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

307

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित पवॉर, सहायक अध्यापक- शारीरिक शिक्षा	19-10-2020	श्री सत्य हरिश्चन्द्र हा0से0 स्कूल, चमरावल, बागपत	सर्वहितकारी इण्टर कालेज, बिनौली, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4893-4902

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

313

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राहुल सिंह स0अ0-गणित	01-12-2021	बी0आर0पी0 इण्टर कालेज, जौनपुर।	शम्भू दयाल इण्टर कालेज, गाजियाबाद।	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4143-52

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

**(रामचेत),**

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 315 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री किशनपाल सिंह स0अ0-विज्ञान	19-5-2017	जनता इण्टर कालेज, सल्हापुर, औरैया।	इण्टर कालेज जटपुरा, मुकीमपुर, बुलन्दशहर।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4163-72

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(सामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/

314

/2024-25 दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री पदम सिंह, सहायक अध्यापक-अंग्रेजी	26-10-2020	किसान विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, पानसर, सहारनपुर	श्री गाँधी स्मारक इण्टर कालेज, बागड़पुर, हापुड़	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/

4153-62

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

316

/2024-25, दिनांक

जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनीत कुमार स03A0-अंग्रेजी	14-12-2021	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, सुरीर, मथुरा।	एम0एच0एम0 इण्टर कालेज, सैदपुर, बुलन्दशहर।	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4173-02

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

317

/2024-25, दिनोंक

29

जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अलका वरुण स0अ0-अंग्रेजी	10-4-2012	इन्द्रजीत इण्टर कालेज, बेलोन, बुलन्दशहर।	महाराणा प्रताप इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी),

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4183-92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 318 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता स0अ0-विज्ञान	22-9-2023	रूप किशोर चतुर्वेदी इण्टर कालेज, सिकन्दरपुर खास, कायमगंज, फर्रुखाबाद।	बी0एस0जी0एम0 इण्टर कालेज, स्याना, बुलन्दशहर।	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4193-4202

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

319

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती ममता उपाध्याय स0अ0-हिन्दी	13-9-2023	लक्ष्मण चतुर्वेद आर्य कन्या इण्टर कालेज, मथुरा।	चेतराम शर्मा कन्या इण्टर कालेज, सदरपुर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4203-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

379

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विवेक कुमार सहायक अध्यापक-विज्ञान	27-11-2021	इण्टरमीडिएट कालेज, लक्ष्मीपुर एकड़गा, महराजगंज।	इण्टर कालेज, सहकारी नगर, बुलन्दशहर।	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4813-22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 378 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विपुल कुमार अग्रवाल प्रवक्ता-वाणिज्य	19-5-2022	श्री खेदन लाल राष्ट्रीय इण्टर कालेज, चेतगंज, वाराणसी।	शम्भू दयाल इण्टर कालेज, गाजियाबाद।	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4803-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 377 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री पुष्पदेव शर्मा भारद्वाज, प्रधानाचार्य	05-9-2011	मुन्ना लाल इण्टर कालेज, बदायूँ	जनता इण्टर कालेज, रौजा याकूबपुर, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4793-4802 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

383

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रविकान्त स0अ0-अंग्रेजी	23-11-2021	श्री तुलसी इण्टर कालेज राजापुर, चित्रकूट।	सर्वहितकारी इण्टर कालेज, बिनौली, बागपत	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4853-62

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 386 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री द्रोणवीर सिंह यादव, सहायक अध्यापक- शारीरिक शिक्षा	06-12-2021	लाल बहादुर शास्त्री इंटरकालेज, बहादुरगढ़, हापुड़	बालमुकुन्द जनता इंटर कालेज, सनौता, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4883-92

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 413 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुरेश कुमार, सहायक अध्यापक-विज्ञान	14-11-2018	बुद्ध इण्टर कालेज, कुशीनगर	श्री देवात्रय आदर्श इण्टर कालेज, कर्णवास, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5153-62

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

415

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सविता चौधरी, सहायक अध्यापिका-कला	30-5-2022	डॉ० हर गोविन्द प्रसाद जनता इण्टर कालेज, हरदासपुर, रायबरेली	सर्वोदय किसान इण्टर कालेज, जावली, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5173-82

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 414 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपक कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	01-12-2022	इण्टर कालेज, रानीपुर, जौनपुर	डॉ० के०एन० मोदी साइन्स एण्ड कामर्स कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5163-72 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 416 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	03-4-2012	किसान इण्टर कालेज, उसका बाजार, सिद्धार्थनगर	जनता इण्टर कालेज, लुम्ब, बागपत	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5183-92

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

417

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री केशव कुमार, सहायक अध्यापक-अंग्रेजी	18-12-2021	रतसर इण्टर कालेज, रतसर, बलिया	कृषक इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5193-5202

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।



(प्रमचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

418

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूजा आर्य, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	17-2-2021	भागीरथी आर्य कन्या इण्टर कालेज, लालकुर्ती, मेरठ	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, शबगा, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5203-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 425 /2024-25 दिनांक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मनोज गौड़, स0अ0	21.1.2021	लाला करमचन्द थापर इण्टर कालेज बरारी बैतालपुर देवरिया	सर्वहितकारी इण्टर कालेज मीतली गौरीपुर बागपत	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 5273-82 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 426 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सुश्री निधि, सहायक अध्यापिका-गणित	01-10-2022	तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इण्टर कालेज, इटावा	दुर्गाबाड़ी ए0बी0 बालिका इण्टर कालेज, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5283-92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

411

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती निमिषा राठौर स0अ0-गृह विज्ञान	03-1-2022	श्री परमहंस इण्टर कालेज, मंझौली, बलिया।	वत्सराज स्वतंत्र भारत इण्टर कालेज, कलौदा, गौतमबुद्धनगर।	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5133-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

412

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सोनिया, प्रवक्ता-अंग्रेजी	02-11-2021	सम्राट अशोक इण्टर कालेज, चन्दसारा, मेरठ	शम्भूदयाल इण्टर कालेज, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5143-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 424 /2024-25 दिनांक 24 जून, 2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री देवकरण सिंह, प्रवक्ता	01.8.2009	महात्मा गांधी इण्टरमीडिएट कालेज सखवनिया कुशीनगर	श्री गांधी इण्टर कालेज दुजाना गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/

5263-72

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

428

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नितेश कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	22-01-2021	लाला करमचन्द थापर इण्टर कालेज, बरारी बैतालपुर, देवरिया	महात्मा गाँधी मैमोरियल इण्टर कालेज, ढिकौली, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5303-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/

427

/2024-25 दिनांक 29 जून, 2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री देवेन्द्र कुमार, स0अ0	22.12.2010	राणा संग्राम सिंह इण्टर कालेज बिसाहडा गौतमबुद्धनगर	नेहरू स्मारक इण्टर कालेज फुलेरा बागपत	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/

5293-5302

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 150 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 विशा, सहायक अध्यापिका-गणित	07-12-2021	गणेश स्मारक आदर्श इण्टर कालेज, नरसैना, बुलन्दशहर	राम सहाय इण्टर कालेज, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2493-2562

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(समवेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 302 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मनीषा, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	19-4-2021	श्री महंत शिवदास उदासीन इण्टर कालेज, सादात, गाजीपुर	आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4033-42 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 353 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सतीश कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	21-10-2020	पचोतर नेशनल इण्टर कालेज, मरदह, गाजीपुर	लाला बाबू बैजल इण्टर कालेज, लोदीपुर, हापुड़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4553-62 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रोतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 354 /2024-25, दिनोंक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती आयुषी, सहायक अध्यापिका-गणित	04-8-2020	बिहारी लाल भारती इण्टर कालेज, पाली मुकीमपुर, अलीगढ़	आदर्श शिक्षा सदन इ0का0, मुरादग्रामपुर पूर्सी, मुरादनगर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4563-72 /2024-25, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 355 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रीति, सहायक अध्यापिका-कला	01-7-2017	हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामिली	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, लावड़, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4573-82 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामप्रसाद),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 156 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कपिल कुमार, सहायक अध्यापक-अंग्रेजी	10-7-2017	श्री नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, समान, मैनपुरी	जनहितकारी इण्टर कालेज, छिलौरा, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2553-62 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 155 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजय कुमार, सहायक अध्यापक- सामाजिक विज्ञान	12-8-2023	किसान इण्टर कालेज, परसौल, गौतमबुद्धनगर	डी0ए0वी0 हायर सेकेण्ड्री स्कूल, सदर मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2543-52 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
**(रामचैत),**  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 154 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुन्दरपाल सिंह, सहायक अध्यापक-कला	09-5-2017	नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, समान, मैनपुरी	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, सनौटा, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2533-42 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(राप्रचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 153 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री यशपाल कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	11-12-2021	गाँधी विद्यालय इण्टर कालेज, लखीमपुरखीरी	एच0एच0के0एम0 इण्टर कालेज, माधोपुर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2523-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(शमचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

151

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुधीर कुमार, प्रवक्ता-गणित	13-12-2010	मुंशी गजाधर सिंह जनता इण्टर कालेज, कौमरी, हाथरस	जनता इण्टर कालेज, लुम्ब, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2503-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 152 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आदित्य प्रकाश सक्सेना, प्रधानाचार्य	11-9-2019	सर्वोदय इण्टर कालेज, घटायन नूनीखेड़ा, मुजफ्फरनगर	सनातन धर्म इण्टर कालेज, सदर, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2513-22 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा10-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 145 /2024-25, दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अशोक कुमार, प्रवक्ता-रसायन विज्ञान	25-10-2016	विकट्री इण्टर कालेज, दोहरीघाट, मऊ	इण्टर कालेज, जटपुरा, मुकीमपुर, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2443-52 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(प्रमचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/

149

/2024-25 दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रंजना कुमारी, स0अ0-सामाजिक विज्ञान	04.04.2018	नेशनल इण्टर कालेज कासिमाबाद गाजीपुर	एस0एम0जे0ई0सी0 इण्टर कालेज खुर्जा बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 2483-92

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

398

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कुलदीप शर्मा, सहायक अध्यापक-शारीरिक शिक्षा	07-12-2021	गणेश स्मारक आदर्श इण्टर कालेज, नरसैना, बुलन्दशहर	नवभारत विद्यापीठ इण्टर कालेज, परतापुर, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5003-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 399 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुशील कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	11-12-2021	एस0एल0 इण्टर कालेज, खानपुर, बुलन्दशहर।	कृषक इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5013-22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

400

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विपुल कुमार, प्रवक्ता-रसायन विज्ञान	01-12-2021	श्री त्रिगुणानन्द जनता इटर कालेज, बनकटा स्टेशन, देवरिया	श्री सनातन धर्म इण्टर कालेज, लालकुर्ती, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5023-32

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 402 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कृष्णा, सहायक अध्यापिका-कला	01-12-2021	एम0जी0एम0 इण्टर कालेज, बहेड़ी, बरेली	आर0एस0के0 इण्टर कालेज, सिम्भावली, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5043-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/

401

/2024-25 दिनांक 29 जून, 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजकुमार, प्रवक्ता	27.8.2012	पी0पी0एन0इण्टर कालेज कानपुर नगर	गणेश स्मारक आदर्श इण्टर कालेज नरसैना बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/

5033-42

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 403 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूजा, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	15-2-2021	श्री हरकुमार पाठक कन्या इण्टर कालेज, शाहजहाँपुर	नेहरू इण्टर कालेज, पिलाना, बागपत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5053-62 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 404 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री यशपाल सिंह, सहायक अध्यापक-गणित	21-12-2006	मोहन इण्टरमीडिएट कालेज, लाखनमऊ मैनपुरी	श्याम सिंह इण्टर कालेज, बिलसूरी, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5063-72 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लाखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

405

/2024-25, दिनोंक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री धर्मेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक-विज्ञान	18-11-2021	श्री कृष्ण करुणाकार उ०मा०वि० साकारपार, सिद्धार्थनगर	पब्लिक इण्टर कालेज, स्याना, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5073-82

/2024-25, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

422

/2024-25, दिनांक

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक-अंग्रेजी	09-3-2021	गोस्वामी तुलसीदास उ०मा०वि० डडवाघाट, सिद्धार्थनगर	श्री दयानन्द इण्टर कालेज, बम्बावड़, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5243-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

419

/2024-25, दिनोंक

24

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ललित कुमार, सहायक अध्यापक-विज्ञान	05-2-2021	जनता इण्टर कालेज, भाँदी मझरिया, बस्ती	श्री लाल बहादुर शास्त्री आदर्श इण्टर कालेज, साबितगढ़, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5213-22

/2024-25, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 420 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपान्यु सिंह, सहायक अध्यापक-गणित	13-12-2021	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, मेंहदावल, सन्तकबीरनगर	श्री गाँधी इण्टर कालेज, छुर, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**  
 अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
 उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तद्दिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

S223-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

**(समचेत),**

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
 प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 421 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जितेन्द्र कुमार, प्रवक्ता-अंग्रेजी	18-7-2005	चाहरवाटी इण्टर कालेज, अकोला, आगरा	शहीद नितिन कुमार इण्टर कालेज, घनौरा, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5233-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(सम्बन्धित)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

423

/2024-25, दिनांक

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित कुमार, सहायक अध्यापक-कला	17-12-2021	के0एल0 शास्त्री इण्टर कालेज, मुनि, बुलन्दशहर।	जनता इण्टर कालेज गौहरा आलमगीरपुर, हापुड़।	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5253-62

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

396

/2024-25, दिनोंक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनीत कुमार वर्मा, प्रवक्ता-वाणिज्य	22-11-2021	दीपचन्द्र जैन चैम्बर इण्टर कालेज, मुजफ्फरनगर	कनोहरलाल कृष्ण सहाय इण्टर कालेज, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

4983-92

/2024-25, तददिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 397 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रियंका गोयल, सहायक अध्यापिका-वाणिज्य	20-12-2021	महावीर सिंह इण्टर कालेज, बादिलपुर हल्दी, बलिया	श्री चण्डी विद्यालय इण्टर कालेज, पिलखुआ, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4993-5002

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

359

/2024-25, दिनांक

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संदीप कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	22-04-2022	लोक किसान इण्टर कालेज, ईलना परवाना, बुलन्दशहर।	जनता इण्टर कालेज, बना मसूरी, मेरठ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4613-22

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 358 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनय कुमार सिंह, सहायक अध्यापक-अंग्रेजी	20-2-2021	चण्डी मिश्र बिन्देश्वरी मिश्र उ०मा०वि० करमहवा, रावतगंज, गोरखपुर	पब्लिक इण्टर कालेज, स्याना, बुलन्दशहर।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4603-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

357

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अलका रानी, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	13-12-2021	नरहरि बाबा इण्टर कालेज, कर्ण छपरा, बलिया	सलावा कन्या इण्टर कालेज, सलावा, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4593-4602

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 356 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री वैभव गर्ग, सहायक अध्यापक-गणित	07-8-2020	जनता इण्टर कालेज, बनकटी, बस्ती	कृषि इण्टर कालेज, जयसिंहपुर, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4583-92 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ **360** /2024-25, दिनांक **29** जून, 2024  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता-भौतिक विज्ञान	08-1-2022	बॉसडीह इण्टर कालेज, बलिया	सर्वहितकारी इण्टर कालेज, मीतली गौरीपुर, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ **4623-32** /2024-25, तद्दिनांक।  
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

**(रामचेत),**  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 361 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रामगोपाल कसाना, सहायक अध्यापक-विज्ञान	17-2-2021	सरस्वती इण्टर कालेज, पीपलहेड़ा, ककराला, मुजफ्फरनगर	डॉ0 के0एन0 मोदी साइन्स एण्ड कॉमर्स कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी),

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4633-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 362 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती लक्ष्मी, सहायक अध्यापिका-विज्ञान	03-12-2012	सरस्वती इण्टर कालेज, पीपलहेड़ा, ककराला, मुजफ्फरनगर	गाँधी विद्यालय इण्टर कालेज, रावलीकला, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी),

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तद्दिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4643-52

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 363 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अवधेश शर्मा, सहायक अध्यापक-गणित	01-7-2017	जनता इण्टर कालेज, लगुचा, लखीमपुरखीरी	गौधी विद्या निकेतन इण्टर कालेज, बुढ़पुर रमाला, बागपत	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4653-62

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 364 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कविता, सहायक अध्यापिका-जीव विज्ञान	02-12-2021	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, बरहन, आगरा	अग्रसेन इण्टर कालेज, सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

463-72

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(समचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

365

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजवेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	25-7-2019	श्री विद्याराम इण्टर कालेज, फरीहा, फिरोजाबाद	महाराणा प्रताप इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4673-82

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

390

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है,:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ब्रज कुमार, सहायक अध्यापक-अंग्रेजी	24-7-2006	आर0वी0सी0हा0सै0 स्कूल, मेरठ	सरदार पटेल म्यू0 इण्टर कालेज, मेरठ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4923-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी,:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 391 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विपिन कुमार, सहायक अध्यापक-गणित	01-12-2021	श्री बुद्धसेन प्रेमचन्द्र इण्टर कालेज, बहलोलपुर, बुलन्दशहर	श्री शालिगराम शर्मा स्मारक इण्टर कालेज, रासना, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4933-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

392

/2024-25, दिनांक

29

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रिंसी गुप्ता, सहायक अध्यापिका-जीव विज्ञान	23-2-2021	मधानन्द इण्टर कालेज, सरायघासी, बुलन्दशहर	एस0एस0वी0 इण्टर कालेज, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4943-52

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(सामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 393 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मधु गुप्ता, सहायक अध्यापिका-अंग्रेजी	16-11-2021	वैदिक कन्या इण्टर कालेज, अग्रवाल मण्डी, टटीरी, बागपत	कन्या वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, गाजियाबाद	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4953-62

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

394

/2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक-गणित	04-12-2021	मुन्दर प्रसाद इण्टर कालेज, बरगदवा बाजार, महाराजगंज	श्री लाल बहादुर शास्त्री आदर्श इण्टर कालेज, साबितगढ़, बुलन्दशहर	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।


/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4963-72

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
 (रामचेत),  
 उप शिक्षा निदेशक (मा10-3),  
 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
 प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 395 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शिप्रा कौशिक, प्रवक्ता-गणित	28-7-2012	बी0ए0वी0 इण्टर कालेज, सुभाषनगर, मेरठ	बी0एम0एम0 इण्टर कालेज, मऊखास, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4973-82

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 388 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सविता, सहायक अध्यापिका-गणित	27-7-2017	हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली	हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, पिलखुआ, हापुड़	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4903-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 389 /2024-25, दिनांक 22 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री वीरेन्द्र सिंह नागर, सहायक अध्यापक-गणित	21-12-2021	श्री जवाहर इण्टर कालेज, मांयचा, गौतमबुद्धनगर	संत विनोवा इण्टर कालेज, वैदपुरा, गौतमबुद्धनगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

4913-22

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),  
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।



**कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

110

/2024-25, दिनांक

28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शुभम सिरोही, सहायक अध्यापक-विज्ञान	22-2-2021	अनन्त प्रसाद सिंह इण्टर कालेज, भदौही, प्रतापगढ़	श्री शालिग्राम शर्मा स्मारक इण्टर कालेज, रासना, मेरठ	रिक्त पद के प्रति।

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी,**  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 2093 - 2102 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।